न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 84 / 2017

उनवान

1. राजू सिंह पिता हीरा सिंह रावत निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपी सिह पिता हीरा सिंह रावत निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 390 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016

अधिवक्तागण :—

1. श्री बी एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 16.10.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शिवनगर पटवार हल्का गागडो तहसील हुरडा में वादी की खाता संख्या 245 पर आराजी नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

213 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 218 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा स्थित होकर वादी का कब्जाकाश्त निरन्तर उपयेग उपभोग चला आ रहा है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी बिना किसी वजह से आये दिन वादी की खातेदारी की आराजियात में दखलन्दाजी करता है व वादी को उक्त आराजियात में फसल इत्यादि बोने, जोने में रूकावट पैदा करता है । दिनांक 5.9.2009 को वादी द्वारा अपनी आराजियात में बोई हुई फसल (गंवार) को देखने हेतु गया तो वहॉ प्रतिवादी गोपी द्वारा उक्त आराजियात में जबरन घुसने लगा और कहने लगा कि उक्त आराजियात मेरी है और लडाई झगडा करने लगा । अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वादग्रस्त वादी की आराजियात में किसी प्रकार से स्वयं दखलन्दाजी नहीं करें व किसी अन्य द्वारा दखलन्दाजी नहीं करावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को उनके अधिवक्ता ने कहा कि निर्णय होते ही सूचना कर दूंगा परन्तु उनके अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दी गई थी। दिनांक 2.2.2017 को जब अधिवक्ता से संपर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त कर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होन से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अपने जिम्मे की तनकियात को पूर्णरूपेण साबित कराया जिसे नहीं मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने अपने जिम्मे की तनकी को साबित नहीं कराया है न ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश की जिससे आराजी संख्या 212 एवं 218 में प्रत्यर्थी का कोई हक व हिस्सा हो । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रत्यर्थी के बयानों व उसके द्वारा पेश राजीनामा को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तथाकथित राजीनामा कभी हुआ ही नहीं । राजीनामा की लिखापढी केवल पैतृक जायदाद जो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी के पिता हीरा जी के नाम पर थी यानि आराजी नम्बर 670 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, व आराजी नम्बर 671 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा के संबंध में था जिसमें भी 2 बीघा जमीन अपीलार्थी के नाम करने की शर्त थी जिसे प्रत्यर्थी ने मानने से इंकार कर दिया व राजीनामा केन्सिल हो गया लेकिन असल लिखा–पढी प्रत्यर्थी के पास रह गई जिसका नाजायज लाभ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उठाकार अपीलार्थी की आराजियात को भी राजीनामा में लिखा लिया तथा उक्त फर्जी राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से दाद हासिल कर ली जबकि ऐसा कोई राजीनामा अमल में आया ही नहीं । इस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने अपने बयानों में भी उक्त राजीनामा को नकारा है तो भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक मान्यता के उक्त राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आराजी संख्या 212, 218 अपीलार्थी ने स्वअर्जित आय से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जो बिना पंजीयन के हस्तान्तरण नहीं हो सकती । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व की हानि कर बिना किसी आधार के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक सम्पति से उक्त आराजियात खरीदना मानकर भारी भूल की है । अपीलार्थी परिवार में बडा नहीं है, अपीलार्थी से बडे दो भाई है । अपीलार्थी तीसरे नम्बर की सन्तान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी की झूंठी एवं मिथ्या कहानी को सही मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी के पिता हीरा जी के पांच पुत्र होकर सबसे बडे, बीरम सिंह, उससे छोटे गोविन्द सिंह, उससे छोटा अपीलार्थी राजु सिंह, उससे छोटा प्रत्यर्थी गोपी सिंह व सबसे छोटा बोदू सिंह उर्फ उदय सिंह है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय ने केवल प्रत्यर्थी की कहानी को आधार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मानकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जावे एवं वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहे।

12. हमनें प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. वादग्रस्त आराजियात जो कि शिवनगर, पटवार हल्का गागेडा में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2064 से 2067 तक में राजू सिंह पिता हीरा सिंह रावत साकिन देह दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थी का अधीनस्थ न्यायालय में कथन है कि वादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ है एवं लिखापढी भी हो रखी है जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा साबित कराया गया है। गवाहान ने भी प्रत्यर्थी के कथनों को अपने बयानों से साबित कराया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से गवाह पी डब्ल्यू 2 दयाराम के बयान कराये गये जिसने वादग्रस्त आराजी में राजू सिंह के भाई का भी हक हिस्सा होने की जानकारी नहीं होना बताया है। यद्यपि राजीनामा प्रदर्श डी 1 आपसी समझौता पत्रावली में संलग्न है परन्तु उक्त राजीनामा से वादग्रस्त आराजी में प्रत्यर्थी को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्यर्थी ने यह साबित नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कराया है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी सम्पति से क्रय की गई हो। प्रत्यर्थी ने राजू सिंह को परिवार में हीरा सिह रावत का सबसे बडा पुत्र होने के कारण राजू सिह के नाम पर वादग्रस्त आराजी को क्रय करने का कथन किया है । जबकि इसके विपरीत अपीलार्थी राजू सिंह ने अपने आपको हीरा सिंह के तीसरा पुत्र होने का कथन किया है।

14. चूंकि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत राजीनामा के आधार पर अपीलार्थी का वाद आंशिक स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

15. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौजा शिवनगर तहसील हुरडा स्थित खाता संख्या 245 पर आराजी नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 213 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 218 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से स्वयं या अन्य द्वारा दखलन्दाजी या हस्तक्षेप नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

16. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/10/18

भू प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए / 84 / 2017

उनवान

1. राजू सिंह पिता हीरा सिंह रावत निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपी सिह पिता हीरा सिंह रावत निवासी शिवनगर, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण
संख्या 390 / 2009 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 84 / 2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 16.10.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल बापना वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की अनुपस्थिति मे दिनांक 16.10.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौजा शिवनगर तहसील हुरडा स्थित खाता संख्या 245 पर आराजी नम्बर 212 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 213 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 218 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार से स्वयं या अन्य द्वारा दखलन्दाजी या हस्तक्षेप नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 16.10.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

16/10/18

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
सेजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस